संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर ई–5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक/ 4380 /स्था/नग्रानि/2016 भोपाल, दिनांक 1-10-16

//कार्यालयीन आदेश//

मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनारक्षित के सीधी भरती, सीधी भरती, बैकलॉग पदों की पूर्ति हेतु प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा (चतुर्थ श्रेणी) के पदों हेतु संयुक्त भरती परीक्षा 2015 के तारतम्य में व्यापम द्वारा उपलब्ध कराई गई चयन सूची के आधार पर, चयनित अभ्यर्थियों को अस्थाई रूप से म.प्र. आवास एवं पर्यावरण विभाग आकस्मिकता व्यय से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भरती तथा शर्ते नियम 1976 में उल्लेखित नियम 8 में निर्धारित प्रकिया के अनुसार सेवा का अस्थाई सदस्य मानकर स्थानापन्न रूप से **चौकीदार** के पद पर वेतनमान रूपये 4440–7440+1300/–ग्रेड पे (प्रारंभिक मूल वेतन रूपये 4750+1300/–ग्रेड पे) के न्यूनतम वेतन एवं शासन के नियमानुसार अन्य स्वीकृत देय भत्तों पर, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधोलिखित शर्तो पर नियुक्त किया जाता है तथा उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर (कॉलम क्रमांक 6) पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई तौर पर आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है :–

क्र0	नाम/पिता का नाम	लिंग	चयन सूची वर्ग	गृह जिला	स्थान जहां पदस्थ किया गया है।
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	राजकुमार चौधरी सेवालाल चौधरी	पुरूष	अनुसूचित जाति/ भू.पू. सैनिक/ओपन	भोपाल	नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय बैतूल
2.	यत्येन्द्र सिंह राठौर राजकुमार राठौर	पुरूष	अनारक्षित/निल/ ओपन	भोपाल	नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय राजगढ़
3.	दिनेश सिंह मदनलाल	पुरूष	अनारक्षित/ भू.पू. सैनिक/ ओपन	देवास	नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय खरगौन
4.	हेमन्त शाक्य गोपाल शाक्य	पुरूष	अनुसूचित जाति/ विकलांग हाथ/ ओपन	ग्वालियर	नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय भिण्ड

1. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–सी–3–15/2012/1/3 दिनांक 24 नवम्बर, 2012 के अनुसार, "यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सशर्त जारी किये जा रहे है, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते है तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी"।
2. नियमित कर्मचारी को अच्छे चरित्र एवं उसके विरूद्ध ऐसा कोई अपराधिक प्रकरण जो उसे शासकीय सेवा के योग्य होने से बाधित करता हो, लंबित न होने के संबंध में एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा। शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्यों के विरूद्ध जानकारी मिलने पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे तथ्यों का सत्यापन करने के पश्चात बिना कोई कारण बताये तत्काल नियुक्ति समाप्त कर देंगे। (संलग्न शपथ–पत्र का प्रारूप)
3. बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के, अन्य विभाग में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र सीधे नहीं भेजे जा सकेंगे।
4. बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के, शैक्षणिक योग्यता बढ़ाये जाने संबंधी परीक्षा में सम्मिलित नही हो सकेंगे।

E-(Posti-order-2(chokidar.)-16

5. सेवा अवधि के दौरान उभय पक्ष की ओर से एक माह का नोटिस देकर सेवायें समाप्त की जा सकेगी, किन्तु कदाचरण या असंतोषजनक कार्य या दोनों के कारण सेवायें बिना सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथापि यदि वे एक माह की सूचना न दे तो सूचना न देने के बदले उनको एक माह का वेतन व निर्धारित भत्ते जमा करना होगा। यदि वे ऐसा न करे तो ऐसी राशि भू–राजस्व के अवशेष के रूप में वसूल की जा सकेगी।
6. नव नियुक्त अभ्यर्थीगण, म.प्र.शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन कमांक एफ–9/3/2003/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 13.4.2005 द्वारा मध्य प्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा व सिविल पदों पर दिनांक 01.01.2005 के बाद से नियुक्त कर्मचारियों के लिए लागू "परिभाषित अंशदान पेंशन योजना" के सदस्य होंगे एवं इन पर म.प्र.सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 लागू नहीं होंगे।
7. अभ्यर्थी को आदेश प्राप्ति से 15 दिवस की समयसीमा में उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए पदस्थापना स्थान पर उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
8. अभ्यर्थी को पदभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।
9. अभ्यर्थियों की परस्पर वरिष्ठता का निर्धारण उन्हें चयन प्रकिया में प्राप्तांको के आधार पर मैरिट कमानुसार किया जावेगा।
10. संबंधित को कार्यभार ग्रहण करने के समय मूल रूप से शैक्षणिक योग्यता, मूल निवासी, जाति, विकलांगता संबंधी प्रमाण अथवा शासकीय सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। मूल अभिलेख मिलान में सही नहीं पाये जाने पर नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।
11. संबंधित जिला कार्यालय, अभ्यर्थी के मूल प्रमाण पत्रों की जांच से संतुष्ट होने पर ही अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करावेंगे।
12. अभ्यर्थी, कार्यग्रहण करते समय संबंधित जिले के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे, यदि स्वास्थ्य परीक्षण में अभ्यर्थी को शारीरिक/ मानसिक रूप से अयोग्य पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
13. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय संबंधित जिलाध्यक्ष द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की पुष्टि करा के प्रस्तुत करना होगा। परीक्षण हेतु संबंधित जिला कार्यालय को भेजा जायेगा। यदि जाति प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो उसकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
14. यह प्रमाणित किया जाता है कि "म.प्र.लोक सेवा (अनु.जातियों, अनु.जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (कमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का पालन किया गया है"।
15. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल का निर्णय अंतिम होगा।

30.9.16

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र.भोपाल

E-(Posti-order-2(chokidar.)-16

पृ.क्रमांक / 4381 / स्था / नग्रानि / 2016 भोपाल, दिनांक 1-10-16

प्रतिलिपि :-

1. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय बैतूल / राजगढ / खरगौन / भिण्ड़ को सूचनार्थ।
2. राजकुमार चौधरी पिता सेवालाल चौधरी क्वा. नं. जी-1, बिजली नगर कालोनी, गोविन्दपुरा भोपाल को सूचनार्थ एवं पालनार्थ। पिन कोड नं.-462023
3. यत्येन्द्र सिंह राठौर पिता रामकुमार राठौर 129, शिवनगर कालोनी, बैरसियां रोड, करोद हुजुर, भोपाल को सूचनार्थ एवं पालनार्थ। पिन कोड नं.- 462038
4. दिनेश सिंह पिता मदनलाल, 24 हनुमान गली, नागदा रोड़ बालगृह देवास को सूचनार्थ एवं पालनार्थ। पिन कोड नं.- 453441
5. हेमन्त शाक्य पिता गोपाल शाक्य, 00 विश्वनाथ की चक्की के पास, जहागीर कटरा, जोशीयाना मुहल्ला ग्वालियर पिन कोड नं.- 474003
6. लेखा कक्ष, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल।
7. व्यक्तिगत नस्ती।
8. रोस्टर लिपिक।

30.9.16

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र.भोपाल

प्रारूप

: : शपथ पत्र : :

फोटो

मैं .... आयु ....पुत्र/पुत्री/पत्नि ....
निवासी .... शपथपूर्वक कथन करता/करती हूं:–

1. यह मेरा चयन .... पद पर हुआ है।
2. यह कि मेरा चरित्र उत्तम है।
3. यह कि मुझे आज दिनांक तक कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है।
4. यह कि मुझ पर आज दिनांक तक किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार कोई आपराधिक मामला दर्ज नही हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है।
5. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है।
6. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है।
7. यह कि मैंने भरती प्रक्रिया में जो भी जानकारियां दी हैं एवं जो दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, वे पूर्णतः सही एवं सत्य है।

बेटी है तो कल है

प्रारूप

: : शपथ पत्र : :

फोटो

मैं .... आयु ....पुत्र / पुत्री / पत्नि .... निवासी .... शपथपूर्वक कथन करता / करती हूं–

1. यह मेरा चयन .... पद पर हुआ है।
2. यह कि मेरा चरित्र उत्तम है।
3. यह कि मुझे आज दिनांक तक कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है।
4. यह कि मुझ पर आज दिनांक तक किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार कोई आपराधिक मामला दर्ज नही हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है।
5. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है।
6. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण / संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है।
7. यह कि मैंने भरती प्रक्रिया में जो भी जानकारियां दी हैं एवं जो दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, वे पूर्णतः सही एवं सत्य है।